प्रिया

लर्निंग ब्रीफ

जनवरी, 2017

स्वच्छता चौपाल

पृष्ठभूमि

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत देश भर के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और साफ–सफाई को लेकर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार इनमें मुख्य रूप से आयोजना चरण, कार्यान्वयन चरण और स्थायित्व चरण के संबंध में सुझाये गये फ्रेमवर्क और दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाना है जिससे सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके। इस आधार पर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जागरूकता सृजन, व्यवहारगत बदलाव लाने तथा घरों, विद्यालयों, आँगनवाडियों, सामुदायिक स्थानों तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन पर बल दिया जा रहा है। इन कामों को करने के लिये संस्थाओं के द्वारा नये–नये तरीकों का उपयोग किया जा रहा है।

पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया), नई दिल्ली के द्वारा छत्तीसगढ़ में वाटर एड़ के सहयोग से पेयजल और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिये प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत **जिला योजना समितियों** की भूमिकाओं को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम स्वच्छता योजनाओं को बनाने और उनके क्रियान्वयन में सहयोग दिया जा रहा है। विशेषकर स्वच्छता और साफ–सफाई की मांग को सृजित करने और उसे बढ़ावा देने के लिये ग्राम पंचायतों में सहभागी पद्धति के आधार पर **ग्राम स्वच्छता योजना** के निर्माण में सहयोग देने में प्रिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रिया के द्वारा इस काम के लिये राज्य के सरगुजा और रायपुर जिले का चयन किया गया है।

ग्राम स्वच्छता योजनाओं के निर्माण, उनके क्रियान्वयन और व्यवहार परिवर्तन के साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों और परिसम्पत्तियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये भी प्रिया के द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है गाँव के स्तर पर **स्वच्छता चौपाल** का आयोजन। प्रिया के द्वारा विगत एक साल से सरगुजा और रायपुर जिले के विभिन्न गाँवों में ग्रामीणों और ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर नियमित तौर पर स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया जा रहा है।

क्या है स्वच्छता चौपाल?

स्वच्छता चौपाल एक प्रकार की (ग्राम) सभा है। प्रायः इस सभा का आयोजन शाम के समय किया जाता है। इस सभा का आयोजन करने से पहले दिन में गाँव के विभिन्न हिस्सों के साथ गाँव के सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे आँगनवाड़ी, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत घर, पूजा स्थल, बाजार, सार्वजनिक तालाब, इत्यादि का भ्रमण गाँव के लोगों के साथ किया जाता है। भ्रमण के दौरान लोगों के साथ चर्चा करके स्वच्छता और साफ–सफाई के बारे में किये जा रहे कामों और उनमें आने वाली दिक्कतों को समझने की कोशिश करते हुये लोगों से ही उनके संभावित समाधानों की चर्चा की जाती है। दिन भर के भ्रमण और चर्चा के बाद शाम को आयोजित स्वच्छता चौपाल में गाँव की स्वच्छता के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाती है और इसमें और सुधार लाने के लिये ग्राम पंचायत की देख–रेख में आगामी दिनों में लोगों के द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर किये जाने वाले कामों को तय किया जाता है।

स्वच्छता चौपाल के आयोजन का उद्देश्य

स्वच्छता चौपाल के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य गाँव के लोगों को स्वच्छता और साफ–सफाई के बारे में नियमित रूप से जागरूक करते रहना है। किन्तु इसके साथ ही स्वच्छता चौपाल के अन्य उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है–

- ✓ गाँव में रहने वाले लोगों को खुले में शौच से मुक्त होने से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी देना,
- ✓ गाँव के स्तर पर व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण और उनके उपयोग में आ रही विभिन्न समस्याओं पर समझ विकसित कर उन्हें व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से हल करने के सहभागी उपाय खोजना,
- ✓ दिन–भर के भ्रमण पर आधारित अनुभवों के आधार पर गाँव में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और साफ–सफाई तथा लोगों के व्यवहार परिवर्तन के प्रयासों को साझा करना
- ✓ सम्पूर्ण स्वच्छता के काम में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाते हुये ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत स्तर के विभिन्न विभागों के मध्य संवाद को बढ़ावा देना, और
- ✓ गाँव के स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिये लोगों को प्रेरित करना।

स्वच्छता चौपाल के आयोजन का तरीका

किसी भी गाँव में स्वच्छता चौपाल को आयोजित करने का तरीका बहुत आसान है। इसका आयोजन किसी व्यक्ति या संस्था (सरकारी या गैर सरकारी) के द्वारा किया जा सकता है। किन्तु एक सुनियोजित और बेहतर स्वच्छता चौपाल के आयोजन के लिये कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। इन बातों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –

1. गाँव की प्रारम्भिक जानकारी इकट्ठा करना

किसी भी गाँव में स्वच्छता चौपाल के आयोजन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम उस गाँव के बारे में जानकारियों को इकट्ठा करना है। स्वच्छता के संदर्भ में जिन जानकारियों को अवश्य लिया जाना चाहिये उनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं–

- ☞ ग्राम पंचायत में कुल घरों की संख्या
- ☞ ग्राम पंचायत में शौचालय–विहीन घरों की संख्या
- ☞ ग्राम पंचायत में शौचालय युक्त किन्तु शौचालय में पानी के स्रोत विहीन घरों की संख्या
- ☞ ग्राम पंचायत में जल–स्रोतों के प्रकार और उनकी संख्या
- ☞ ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों (आँगनवाड़ी, अस्पताल, स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्र, पूजा स्थल, बाजार, आदि) की संख्या

इन जानकारियों को ग्राम पंचायत के माध्यम से लिया जाना चाहिये। ग्राम पंचायत से जानकारियों के न मिलने की स्थिति में इन्हें जनपद पंचायत (विकास खण्ड) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

2. गाँव के सक्रिय लोगों को जोड़ना

गाँव के संबंध में इकट्ठा की गयी जानकारियों को लेने में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के साथ गाँव के कुछ सक्रिय लोगों की मदद ली जा सकती है। गाँव के स्तर पर सक्रिय लोगों में स्वच्छता दूत, नवरत्न इत्यादि शामिल हैं। इसी प्रकार विभागों के द्वारा चयनित या पदस्थापित किये गये लोगों में प्रेरक, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, कोटवार, पंचायत सचिव, शिक्षक, इत्यादि शामिल हैं। इन लोगों की भागीदारी को स्वच्छता चौपाल को आयोजित करते समय भी सुनिश्चित करना चाहिये।

गाँव में सक्रिय होने के कारण अक्सर इन लोगों की मुलाकात गाँव के अन्य निवासियों से होती रहती

है। लोगों से नियमित मिलते रहने के कारण इन लोगों को बहुत सी जानकारियाँ अनौपचारिक रूप से भी मिलती रहती हैं। इन जानकारियों के माध्यम से गाँव के स्वच्छता की स्थिति को समझना आसान होगा। इन लोगों के सहयोग से स्वच्छता चौपाल में लोगों को जोड़ने और चर्चा कराने में मदद मिलेगी।

यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में महिलाओं और युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। महिलाओं के जुड़ने से जानकारियों की गुणवत्ता और बेहतर होगी तथा स्वच्छता की स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने में मदद मिलेगी।

3. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत से स्वच्छता चौपाल की सूचना लोगों तक पहुँचाना

गाँव के स्तर पर आयोजित किये जाने वाले स्वच्छता चौपालों के आयोजन के संबंध में बेहतर तो यह होगा कि इसकी सूचना ग्राम पंचायत के द्वारा दी जाय। किन्तु पुराने अनुभव बताते हैं कि ग्राम पंचायतों की बैठकों का एजेंड़ा प्रायः जनपद पंचायत (विकास खण्ड) स्तर पर तैयार किया जाता है (जो कि किसी भी प्रकार से अच्छी स्थिति नहीं है) और उसी के आधार पर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। गाँव में विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के साथ ही सामान्य लोगों को भी '**उपर से आया आदेश**' ज्यादा महत्व का लगता है।

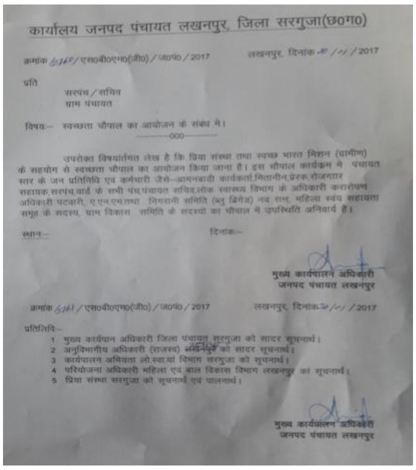
कार्यालय जनपद पंचायत लखनपुर, जिला सरगुजा(छ0ग0)

क्रमांक /एस0बी0एम0(जी0)/ज0पं0/2017 लखनपुर, दिनांक / /2017

प्रति
सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत

विषय:- स्वच्छता चौपाल का आयोजन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रिया संस्था तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सहयोग से स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया जाना है। इस चौपाल कार्यक्रम में पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधि एवं कर्मचारी जैसे–आगनबाड़ी कार्यकर्ता,मितानीन,प्रेरक,रोजगार सहायक,सरपंच,वार्ड के सभी पंच,पंचायत सचिव,लोक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कराधान अधिकारी पटवारी, ए.एन.एम.तथा निगरानी समिति (ब्लु ब्रिगेड) नव रत्न, महिला स्वंय सहायता समूह के सदस्य, ग्राम विकास समिति के सदस्यों का चौपाल में उपस्थिति अनिवार्य है।

स्थान:- दिनांक:-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लखनपुर

क्रमांक /एस0बी0एम0(जी0)/ज0पं0/2017 लखनपुर, दिनांक / /2017

प्रतिलिपि:-
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा को सादर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सादर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता लो.स्वा.यां विभाग सरगुजा को सूचनार्थ।
4. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग लखनपुर को सूचनार्थ।
5. प्रिया संस्था सरगुजा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लखनपुर

इस स्थिति को ध्यान में रख कर यदि संभव हो ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों से चर्चा करके उन्हें विश्वास में लेने के बाद जनपद पंचायत (विकास खण्ड) के स्तर से एक पत्र या आदेश निकलवाया जा सकता है। इस पत्र के माध्यम से गाँव के लोगो को स्वच्छता चौपाल के आयोजन की जानकारी (तारीख, समय और स्थान के साथ) दी जानी चाहिये। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तारीख का निर्धारण स्थानीय तीज–त्योहार और हाट–बाजार वाले दिनों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये। ऐसा न होने पर स्वच्छता चौपाल में लोगों की विशेषकर महिलाओं की भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

स्वच्छता चौपाल के एक दिन पहले मशाल जुलूस जैसे कार्यक्रम के माध्यम में लोगों को स्वच्छता चौपाल के बारे में फिर से जानकारी दी जा सकती है और उन्हें कार्यक्रम में आने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।

4. निश्चित तिथि को गाँव का भ्रमण

स्वच्छता चौपाल के लिये तय किये गये दिन को गाँव में भ्रमण का काम किया जा सकता है। गाँव के विस्तार और उनमें काम करने वाली संस्थाओं तथा सार्वजनिक स्थलों की संख्या को देखते हुये एक तरीका यह हो सकता है कि गाँव के भ्रमण के लिये छोटे–छोटे समूह बना लिये जाँय। किन्तु स्वच्छता चौपाल के पहले गाँव के भ्रमण के काम को टोलियों मे बाँटकर नहीं किया जाना चाहिये। टोलियों में बाँटकर भ्रमण करने की दशा में उन टोलियों के सदस्यों के द्वारा सारी जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल होगा। ऐसे मे निर्धारित समय पर स्वच्छता चौपाल का आयोजन खतरे में पड़ सकता है।

गाँव का भ्रमण करते समय प्रत्येक मुहल्ले या टोले में 8–10 परिवारों के साथ व्यक्तिगत शौचालय और स्वच्छता से संबंधित व्यवहारों पर चर्चा की जानी चाहिये। इस दौरान उन परिवार के लोगों से शौचालायों और घर के आस–पास की साफ–सफाई को लेकर भी चर्चा करनी चाहिये और लोगों के द्वारा बताये गये दिक्कतों और सुझावों को लिख लेना चाहिये।

पूरे गाँव को घूमने और इस दौरान सभी महत्वपूर्ण गलियों और संस्थानों को देखने के काम को ध्यान में रखकर यह जरूरी है कि इस काम की एक योजना बना ली जाय। भ्रमण का प्रारम्भ प्रातः 6 बजे से आरम्भ किया जा सकता है और इसे दोपहर के 3.00 बजे तक किया जा सकता है। इसके बाद अगले एक घंटे के दौरान भ्रमण और लोगों से हुई चर्चा को किसी पेपर पर लिखा जा सकता है जिससे स्वच्छता चौपाल में चर्चा के दौरान कोई महत्वपूर्ण विषय छूट न जाये। बेहतर होगा कि भ्रमण के दौरान लोगों में स्वच्छता लाने में बाधा बनने वाले मुद्दों, उनको बताने वाले परिवारों और मुद्दों से पीड़ित परिवार के सदस्यों को स्वच्छता चौपाल में बुलाना बेहतर होगा।

प्रिया के द्वारा स्वच्छता चौपाल वाले दिन गाँव–भ्रमण की योजना के चरण

प्रिया के द्वारा रायपुर और सरगुजा जिलों में चलाये जा रहे अपने हस्तक्षेपों के दौरान गाँव–भ्रमण की योजना में निम्नलिखित चरणों को शामिल कया गया है–

- *गाँव के प्रवेश द्वार वाले छोर पर बस स्टैण्ड का भ्रमण*
- *आस–पास के खेतों का भ्रमण*
- *गाँव के सबसे कमजोर तबके वाले मुहल्लों का भ्रमण और वहाँ रहने वाले परिवारों से स्वच्छता पर चर्चा*
- *आँगनबाड़ी का भ्रमण*
- *विद्यालय का भ्रमण*
- *आस–पास के तालाब का भ्रमण*
- *प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण*
- *पंचायत घर का भ्रमण*
- *राशन की दुकान का भ्रमण*
- *हाट–बाजार वाले स्थान का भ्रमण*

नोटः

1. भ्रमण के दौरान रास्ते में पड़ने वाले कुछ घरों के सदस्यों से उनके और आस–पास के लोगों के स्वच्छता संबंधी व्यवहारों पर चर्चा की जानी चाहिये।
2. स्थानीय आवश्यकता के अनुसार क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है।

5. स्वच्छता चौपाल में चर्चा

दिन भर के भ्रमण और लोगों से हुई चर्चा के आधार एक संक्षिप्त प्रस्तुति स्वच्छता चौपाल में की जानी चाहिये। इससे स्वच्छता संबंधी मुद्दों और चर्चा के विषयों पर स्वच्छता चौपाल में उपस्थित लोगों की समझ बन सकेगी। स्थानीय मुद्दों और उन पर बनी समझ से चर्चा गंभीर और परिणाम लाने वाली होगी। चर्चा के दौरान कोशिश की जानी चाहिये की उपस्थित सभी लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाय। इसके लिये यह जरूरी है कि स्वच्छता चौपाल में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिये कि महिला और पुरूष दोनों ही अपनी बातों को सहजता से रख सकें।

6. भविष्य की कार्यनीति

स्वच्छता चौपाल में गाँव की स्वच्छता संबंधी चुनौतियों पर हुई चर्चा और उसमे सुधार लाने के लिये सुझाये गये प्रयासों के आधार पर भविष्य की कार्यनीति को तय किया जाना चाहिये। इसके साथ ही कौन से काम किसके द्वारा किये जायेंगे इस बात की जिम्मेदारी भी स्वच्छता चौपाल में तय कर लेनी चाहिये। इससे अगली चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत सहित विभिन्न संस्थाओं के साथ ही लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

7. चर्चा का दस्तावेजीकरण

स्वच्छता चौपाल को सफल बनाने, गाँव में स्वच्छता को बढ़ाने और साफ–सफाई के काम में स्थायित्व लाने के लिये यह जरूरी है कि स्वच्छता चौपाल से जुड़े प्रत्येक चरण में मिलने वाले अनुभवों का सही तरीके से दस्तावेजीकरण किया जाय। इससे न केवल समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी बल्कि भविष्य में इन गलतियों से बचने की जानकारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

ग्रामीणों को स्वच्छता की दी गई जानकारी

अंबिकापुर| वाटर एड के सहयोग से प्रिया संस्था अंबिकापुर द्वारा बेलखरिखा एवं जयपुर में स्वच्छता चौपाल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान संस्था के सहायक जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण सिंह ने ग्रामीणों को स्वच्छता के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें साफ-सफाई का ध्यान रखने एवं टायलेट का उपयोग करने कहा। इसके पूर्व गांव में स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को टायलेट का उपयोग करने एवं साफ-सफाई का ध्यान रखने जागरुक किया गया।

स्वच्छता चौपाल से संबंधित चर्चाओं के दस्तावेजीकरण का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इन दस्तावेजों को ग्राम पंचायत के साथ ही जनपद पंचायत, जिला पंचायत या राज्य के स्तर पर काम कर रही संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है। इससे स्वच्छता से जुड़े कामों के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के साथ ही इनके संबंध में कारगर नीतियों को बनाने में भी मदद मिलेगी। गैर सरकारी संस्थाओं में इन दस्तावेजों का उपयोग संस्थागत सीखों को बढ़ाने में भी किया जा सकेगा।

प्रिया के बारे में

प्रिया सहभागी शोध एवं प्रशिक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र है जिसकी स्थापना 1982 में हुई। अपने कार्यक्रमों को करने के लिये विश्व के स्तर पर प्रिया के साथ उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3000 गैर सरकारी संगठनों से साझेदारी है और देश के कई राज्यो में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

वर्तमान में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रिया के कार्यक्रमों का निम्न क्षेत्रो में हस्तक्षेप है:

- **लडकियों और महिलाओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने** के लिए एक अनुकुल माहौल बनाना और विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों के कामकाज में ऐसी बाधाओ को खत्म करना जिससेघरों, स्कूलों, शॉपिंग कॉम्पलेक्सों, सड़क, कार्यस्थल इत्यादि स्थानों पर लड़कियो और महिलाओ के खिलाफ हिंसा को रोका जा सके। 'कदम बढाते चलो' अभियान, जिसका सफल संचालन हरियाणा में ग्रामीण महिलाओ के खिलाफ हिंसा को रोकने में किया गया, युवाओ द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है जिसे अन्य स्थानों पर भी आरम्भ किया जा रहा है।
- **पेयजल और सफाई को सभी लोगों तक पहुचाने के लिये नये हल ढूंढने के काम** का केन्द्र बुनियादी सेवाओं को सही ढंग से वितरित करने, विशेषकर अनुसुचित जनजाति और शहरी गरीब बस्तियों में, करने पर है। प्रिया के द्वारा युवाओं की क्षमताओं और दक्षताओं को बढ़ाया जाता है, लडकियों और महिलाओं को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे जेंडर संबंधित भेदभाव और विकृतियों को खत्म किया जा सके। शहरी गरीब समुदायो के युवा (लड़के और लड़कियाँ) नई तकनीकों जैसे जी.पी.एस. और मोबाईल फोन आधारित सर्वेक्षण इत्यादि को सीख रहे है, जिससे पेयजल और सफाई की सेवाओं के लिये नगर पालिकाओ को सामुदायिक फीडबैक दिया जा सके।
- **मानवीय और संस्थागत क्षमताओं** को बढ़ाना जिससे सरकारी, व्यावसायिक जगत के कामों को और पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीकों से किया जा सके और जेंडर को मुख्य धारा में लाने और महिलाओं के नेतृत्व को सक्षम बनाना जा सके। भारत और विश्व के दक्षिणी देशों, जो पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से अल्प विकसित रहे हैं, इस तरह की क्षमताओं की कमी को विशेष रूप से हल करने का प्रयास किया जा रहा है।

पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया)
42, तुगलकाबाद इंस्टिट्युशनल एरिया,
नई दिल्ली – 1100062
फोन– 91–11–2996 0931/32/33, फैक्स– 91–11–2995 5183
ई मेल– info@pria.org, वेब– www.pria.org

सहयोग

WaterAid